(64)

:50 P.01

S.O शैक्षिक
9/8/10

बीकानेर FAX किया
6/8/10

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 17(3)प्राशि / 2008 जयपुर, दिनांक : 6-8-10

निदेशक,
प्रारंभिक / ~~माध्यमिक~~ / ~~संस्कृत~~ शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर / जयपुर ।

विषयः— कक्षा 8th बोर्ड परीक्षा समाप्त करने के सम्बन्ध में ।
संदर्भः— निदेशक, प्रा.शि. बीकानेर का पत्रांक:शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / ए / 8बोर्ड / 09—10 दिनांक 03.07.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कम में राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 30 (1) व (2) के प्रावधान के अनुरूप सत्र 2010—11 से कक्षा 8th बोर्ड परीक्षा प्रणाली को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा ।

अतः शैक्षणिक सत्र 2010—11 में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

भवदीय,

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

प्रतिलिपिः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार,, जयपुर
2. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद,, जयपुर
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2 / 3 / प्रा.शि.आयोजना) विभाग
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
5. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

(65)

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / प्रारं / शैक्षिक / ए / 8वीं बोर्ड / 09–10 दिनांकः– 23/8/10

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा
(समस्त)

विषयः– कक्षा– 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा समाप्त करने के संबंध में।
प्रसंगः– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के पत्रांकः– प.17(3)प्राशि / 2008 जयपुर दिनांकः–6.8.10

उपर्युक्त विषयान्तर्गत् एवं प्रासंगिक पत्र के अनुसार राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम्, 2009 के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम् की धारा – 30(1) व (2) के प्रावधान के अनुरूप सत्र 2010–11 से कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा प्रणाली को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

अतः शैक्षणिक सत्र 2010–11 से कक्षा 8 की अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा योजनान्तर्गत् आयोजित करना सुनिश्चित करें।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2– आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4– निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आर.टी.ई. अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप तैयार कर इस कार्यालय को भेजें।
5– समस्त उपनिदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा
6– समस्त प्रधानाचार्य, डाईट को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि आप डाईट में कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा का अभिलेख संधारित करने हेतु एक सैल गठित रखें तथा आप अपने जिले के प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्रों, संग्रहण केन्द्रों, परीक्षा केन्द्रों पर शेष रही राशि एवं स्टेशनरी डाईट में जमा कराने के निर्देश जारी करें।
7– सम्पादक, शिविरा पत्रिका को 7 प्रतियों में प्रकाशनार्थ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर